न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 43 / 2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

रूपाराम पुत्र धर्माराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी भूका वगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर।

1. सताराम पुत्र धर्माराम उम्र 50 वर्ष
2. टीकूराम पुत्र मोडाराम उम्र 70 वर्ष
3. देदाराम पुत्र मोडाराम उम्र 75 वर्ष
4. धनीदेवी पत्नि जेरामाराम उम्र 65 वर्ष
5. मांगाराम पुत्र जेरामाराम उम्र 45 वर्ष
6. कुम्भाराम पुत्र रावताराम उम्र 50 वर्ष
7. लक्ष्मणराम पुत्र रावताराम उम्र 47 वर्ष
8. जगमालराम पुत्र रावताराम उम्र 45 वर्ष
9. पुनमाराम पुत्र रावताराम उम्र 40 वर्ष
10. चुनीदेवी पत्नि अमराराम उम्र 60 वर्ष
11. मगनाराम पुत्र वेहनाराम उम्र 40 वर्ष
12. रूपाराम पुत्र हीराराम उम्र 50 वर्ष
13. रामाराम पुत्र अमराराम उम्र 52 वर्ष
14. लक्ष्मणराम पुत्र अमराराम उम्र 41वर्ष
15. उर्जाराम पुत्र हीराराम उम्र 35वर्ष
16. अनीता पुत्री निम्बाराम उम्र 17 वर्ष
17. केसर पुत्री निम्बाराम उम्र 12 वर्ष
18. गीता चौधरी पुत्री निम्बाराम उम्र 12 वर्ष
19. सपना पुत्र निम्बाराम उम्र 13 वर्ष
20. भगवान चौधरी पुत्र निम्बाराम उम्र 17 वर्ष
21. नोजीदेवी पत्नि निम्बाराम उम्र 60 वर्ष

प्रतिवादी संख्या 16 से 20 नाबालिग जरीये कुदरती माता प्रतिवादी संख्या 21 नोजीदेवी पत्नि अमराराम जातियान जाट निवासीयान भुका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाडमेर ।

22. खीवंराखा पुत्र पनाखां उम्र 70 वर्ष जाति मुसलमान निवासी भुका वगतसिंह
23. संस्था प्रधान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लोलो की ढाणी भुका भगतसिह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर ।
24. शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चवा
25. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक भुका वगतसिंह
26. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 27.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत भूका वगतसिह पटवार क्षेत्र भूका वगतसिह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 518, 518/1 592,593/12, 593/7 रकबा कमश 1.6585, 0.3236, 0.0081, 1.3187,1.6504 हैक्टेयर, कुल 4.9593 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा भूका वगतसिह पटवार क्षेत्र भूका वगतसिह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 518, 518/1 592,593/12, 593/7 रकबा कमश 1.6585, 0.3236, 0.0081, 1.3187,1.6504 हैक्टेयर, भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा भूका वगतसिह पटवार क्षेत्र भूका वगतसिह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 518, 518/1 592,593/12, 593/7 रकबा कमश 1.6585, 0.3236, 0.0081, 1.3187,1.6504 हैक्टेयर, भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा संख्या 699 रकबा 8.9637 हैक्टेयर, खसरा संख्या 701 रकबा 2.1196 हैक्टेयर व खसरा संख्या 704 रकबा 2.8477 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा भूका वगतसिह पटवार क्षेत्र भूका वगतसिह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 518, 518/1 592,593/12, 593/7 रकबा कमश 1.6585, 0.3236, 0.0081, 1.3187,1.6504 हैक्टेयर, भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय़ नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भूका वगतसिह पटवार क्षेत्र भूका वगतसिह तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 518, 518/1 592,593/12, 593/7 रकबा कमश 1.6585, 0.3236, 0.0081, 1.3187,1.6504 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 27.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी